

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1972/चैत्र 9, 1894

No. 64] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 1972/CHAITRA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th March 1972

SUBJECT.—*Import and export of goods from and to Afghanistan.*

No. 45-ITC(PN)/72.—In modification of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 21-ITC(PN)/72, dated the 5th February, 1972, it has been decided that import and export of goods from and to Afghanistan may be permitted subject to the condition that in respect of exports of goods from India to Afghanistan, the exporter shall produce a landing certificate, issued by the Afghan Customs authorities within 15 days of the arrival of the goods, to the concerned licensing authority in India/Reserve Bank of India.

2. Failure to produce the requisite landing certificate will render the exporter/importer concerned liable to penal action under the Imports and Exports Trade Control/Foreign Exchange rules and regulations.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना]

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1972

विषय :—माल का अफगानिस्तान से आयात और अफगानिस्तान को निर्यात

संख्या : 45-आई०टी०सी०(पी०एन०)/72. —विदेश व्यापार मंत्रालय को सार्वजनिक सूचना संख्या 21-आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 5 फरवरी, 1972 में संशोधन करते हुए यह निश्चय किया गया है कि माल के अफगानिस्तान से आयात और अफगानिस्तान को निर्यात की अनुमति इस शर्त के अधीन दण जाए कि निर्यातक भारत से अफगानिस्तान को माल के निर्यात के सम्बन्ध में अफगान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक अवतरण प्रमाण पत्र माल पहुंच जाने के 15 दिनों के भीतर भारत में सम्बद्ध लाहेंस प्राधिकारी/रिजर्व बैंक आफ इंडिया को प्रस्तुत करेगा ।

2. अपेक्षित अवतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर सम्बद्ध निर्यातक/आयातक के विरुद्ध आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनियम नियमों तथा विनियमों के अधीन दण्डात्मक कारवाई की जाएगी ।

एम० एम० सेन
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।